SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SHADI LAL BATRA (Haryana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)ः महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे संबद्ध करता हूं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)ः महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करती हूं।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंढसा (पंजाब)ः सर, ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dhindsaji, why are you standing? ...*(Interruptions)*... आप क्यों खड़े हैं?

सरदार सुखदेव सिंह ढिंढसा : सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ...**(व्यवधान)**... Ontario की असेम्बली ने Resolution pass किया है। ...**(व्यवधान)**... हम उनके हाउस के साथ हैं ...**(व्यवधान)**... 1984 में सिखों से ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप नोटिस दीजिए, बिना नोटिस के नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**... आप सीनियर हैं, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... उसके बारे में बिना नोटिस के नहीं होगा। आपको यदि उसके बारे में बोलना है, तो पहले नोटिस देना होगा। श्री हुसैन दलवई।

Reduction in Haj quota and subsidy to Haj Pilgrims

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र)ः सर, मैं यह विषय हज कमेटी की सब्सिडी के बारे में उठा रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... हज कमेटी पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि हज कमेटी के द्वारा जो हाजी, pilgrim लोग हज के लिए जाते हैं, उनको सब्सिडी दी जाती थी ...**(व्यवधान)**... उसको progressively कर रहे हैं और 2022 को खत्म करना, यह तय हुआ था। यह कोर्ट ने निर्णय दिया, इसके खिलाफ सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए थी, वह बात रखी है। सरकार हर साल थोड़ा-थोड़ा कम करने के बजाय, 200 करोड़ के ऊपर यह बात आई है, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हज पर जाने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफ होने वाली है। ...**(व्यवधान)**... मेरा ऐसा कहना है

कि यहां minority के मंत्री बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि नक़वी साहब, मेरा ऐसा कहना है कि हर साल साठ-साठ करोड़ करके फेज़ आउट कर सकते हैं। आपने डॉयरेक्ट 200-200 करोड़ या 180 करोड़ किए हैं, यह गलत बात है। ...**(व्यवधान)**... इससे कहीं न कहीं आपकी मंशा दिखाई देती है कि आप अगले साल पूरी सब्सिडी खत्म कर देंगे। इससे बड़ा नुकसान होगा। मेरा ऐसा कहना है कि असम, बिहार और श्रीनगर से जो हाजी जाते हैं, उनको इससे बड़ा नुकसान होगा। उनके लिए फेयर भी बड़ी पैमाने पर लगेगा। जब इंदिरा जी थीं, तब लोग हज के लिए ship से भी जाते थे। उसको बंद करके हज के लिए फ्लाइट से जाने का काम चालू किया गया और जो उनको सब्सिडी दी जाती है, वह हज के लिए नहीं, बल्कि travelling के लिए दी जाती थी। असम, बिहार और श्रीनगर के हाजियों को सब्सिडी कम होने की वजह से बड़े पैमाने पर फेयर देना पड़ेगा, इसलिए मेरा यह कहना है कि मुम्बई, हैदराबाद और अहमदाबाद से जो फेयर पड़ेगा, जो दरअसल फेयर है, वही फेयर उनसे भी लेना चाहिए। उनके लिए 2022 तक सब्सिडी चालू रखनी पड़ेगी। जो साठ करोड़ रुपए की सब्सिडी कम की है, 180 करोड़ रुपए सब्सिडी की कम करने से ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः प्लीज़।

श्री हुसैन दलवईः मैं नक़वी साहब, आप से अपील करता हूँ कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्दी कुछ कीजिए और इसके बारे में आपको जो कहना है, वह भी कहिए।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार)ः महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने आपको इससे संबद्ध करती हूँ।

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)ः महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे संबद्ध करता हूँ।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार)ः महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे संबद्ध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं भी अपने आपको इससे संबद्ध करता हूँ।

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SANTIUSE KUJUR (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Sir, it is a very important issue. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम (ओडिशा): उपसभापति जी, मैं मंत्री जी का ध्यान, हमारे राज्य ओडिशा में न्यू फर्टिलाइजर रेक प्वाइंट्स की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naqvi wants to react. ...*(Interruptions)*...

श्री अली अनवर अंसारीः उपसभापति जी, श्रीमती कहकशां परवीन को एक मिनट बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः एसोसिएट किया है, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... I allowed her. She said. I heard it. ...*(Interruptions)*...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): उपसभापति जी, हुसैन दलवई जी और कहकशां परवीन जी ने हज सब्सिडी का इश्यू उठाया है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, the matter is raised by Shri Husain Dalwai and Shrimati Kahkashan Perween.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः दोनों ने बोला है।

महोदय, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा थ कि हज सब्सिडी धीरे-धीरे खत्म करनी चाहिए। हज सब्सिडी खत्म करने की प्रक्रिया 2013 से शुरू हो गई थी। जैसा कि अभी हुसैन दलवई जी ने कहा कि लगभग 21 एम्बार्केशन प्वाइंट्स हैं, इस देश में, अलग-अलग जगहों से, उन 21 एम्बार्केशन प्वाइंट्स से लोग हज करने जाते हैं। इस बार लगभग 1 लाख, 70 हजार हाजी यहां से जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो decision है, जो हज सब्सिडी है, इस साल उस सम्बन्ध में एक हाई लेवल कमेटी काम कर रही है। हमारी कोशिश यह है कि सब्सिडी - क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो decision है, वह हमारे समय का decision नहीं है, उस समय कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, यह उस समय का लिया हुआ decision है ...**(व्यवधान)**... इसलिए हमारी कोशिश है कि हज सब्सिडी खत्म होने के बाद भी ...**(व्यवधान)**... हाजियों पर ज्यादा बोझ न पड़े। ...**(व्यवधान)**... इसके लिए हम तमाम तरह की संभावनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... इसके साथ ही साथ ...**(व्यवधान)**... हज यात्रा की जा सके ...**(व्यवधान)**... हम उस पर भी काम कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you examine. ...*(Interruptions)*... देखेंगे। ...**(व्यवधान)**... श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रमः उपसभापति जी, मैं ओडिशा की ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Sarojini Hembram. ...*(Interruptions)*... He said that he would examine it. ...*(Interruptions)*... The Government will examine it. बोल दिया। ...**(व्यवधान)**... आप बोलिए।